सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 16, मंगलवार, *शाके* 1947- मई 06, 2025 *Vaisakha 16, Tuesday, Saka 1947- May 06, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-12) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 1, 2025

क्रमांक : प.9(7)गृह-12/कारा/2025 - यत् कारागार अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम-9 सन् 1894) की धारा-3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना/आदेश द्वारा निम्नलिखित को उप कारागृह घोषित किया गया था। उन अधिसूचना/आदेश को विखण्ड़ित करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा भारत में अवैध रूप से प्रवास/निवास कर रहे विदेशी नागरिकों को निरूद्व किये जाने हेतु उक्त स्थानों को विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ई) के अधीन अस्थाई रूप से डिटेन्शन सेंटर घोषित किया जाता हैः-

क्र.स.	स्थान	जिला
1	उप कारागृह, बहरोड़	कोटपुतली-बहरोड़
2	उप कारागृह, मेड़ता सिटी	नागोर
3	उप कारागृह, झाड़ोल	उदयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,

अनुराधा गोगिया

संयुक्त शासन सचिव।

4276

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।